न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : राजेश कुमार ,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 256 / 2023

जी.सी.एम.एस.संख्या :– 2023 / 414

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1.अजाराम पुत्र विशना 2.गीगी पत्नी रावा 3.गोविन्दराम पुत्र मांगाराम 4.चन्दा पुत्र रावा 5.जीणा पुत्र रावा 6.दानाराम पुत्र सविया 7.धोलकी पत्नी सविया 8.पन्नाराम पुत्र सविया 9.पारसराम पुत्र सविया 10.बागा पुत्र रावा 11.भोलाराम पुत्र सविया 12.मजनाराम पुत्र सविया 13.मोवनीदेवी पत्नी सवाराम 14.मोहनीदेवी पत्नी सवाराम 15.लिक्ष्मण पुत्र रावा 16.वरजूदेवी पत्नी विशना 17.शान्तिदेवी पत्नी पनाराम 18.सुरेश पुत्र मांगाराम जाति भील निवासी आसोतरा तहसील–पचपदरा व जिला बालोतरा		1.खेताराम पुत्र मंगलाराम जाति मेगवाल निवासी आसोतरा तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा 2.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा 3.राजस्थान सरकार जरिए उप वन संरक्षक बाड़मेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 क, राज[illegible]तकारी अधिनियम 1955

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.26 20:29:22 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थिति–

1.श्री चेलाराम कुमा[illegible] अधिवक्ता प्रार्थीगण

2.श्री महेन्द्रसिंह भारद्वाज अधिवक्ता विप्रार्थी [illegible]ा 1

3.विप्रार्थी संख्या 2 व 3 अनुपस्थित।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

:आदेश :

दिनांक– 20·9·2024

1. प्रकरण का संक्षिप्त में सारवान तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण 1.अजाराम पुत्र विशना 2.गीगी पत्नी रावा 3.गोविन्दराम पुत्र मांगाराम 4.चन्दा पुत्र रावा 5.जीणा पुत्र रावा 6.दानाराम पुत्र सविया 7.धोलकी पत्नी सविया 8.पन्नाराम पुत्र सविया 9.पारसराम पुत्र सविया 10.बागा पुत्र रावा 11.भोलाराम पुत्र सविया 12.मजनाराम पुत्र सविया 13.मोवनीदेवी पत्नी सवाराम 14.मोहनीदेवी पत्नी सवाराम 15.लिक्ष्मण पुत्र रावा 16.वरजूदेवी पत्नी विशना 17.शान्तिदेवी पत्नी पनाराम 18.सुरेश पुत्र मांगाराम जाति भील निवासी आसोतरा तहसील–पचपदरा व जिला बालोतरा ने अपने खातेदारी भूमि खसरा संख्या 409 क्षेत्रफल 2.6810 हैक्टयर मौजा आसोतरा तहसील पचपदरा में कृषि कार्य हेतु आवागमन के लिए विप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 4044/3944 में से 15 फीट चौड़ा रास्ता नजरी नक्शा बरंग लाल ए से बी कायम करने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया हैं तथा संलग्न नक्शानुसार रास्ता नजदीक सरल एवं एकमात्र विकल्प होने के कारण प्रार्थीगण के खातेदारी जोत तक कृषि कार्य आवागमन हेतु उक्तानुसार सार्वजनिक रास्ता घोषित करने का निवेदन किया हैं।
2. प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी के रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थी संख्या 01 की ओर से प्रार्थीगण के आवेदन–पत्र को अस्वीकार करते हुए जवाब पेश कर आवेदन पत्र खारिज करने का निवेदन किया गया। विप्रार्थी संख्या 03 को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। विप्रार्थी संख्या 02 तहसीलदार पचपदरा ने प्रकरण में जवाब पेश नहीं कर निर्धारित प्रारूप में मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की,जो शामिल मिसल है।
3. तत्पश्चात् प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने दौराने बहस प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण के आवेदन–पत्र के संलग्न नजरी नक्शा परिशिष्ट 'अ' में दर्शित मार्क ए से बी तक यानि विप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 4044/3944 भूमि में से 15 फीट बंरग लाल चौड़ा रास्ता आवागमन एवं कृषि उपयोग हेतु रास्ता घोषित किया जावें। उक्त रास्ता नजदीक, सरल एवं सुगम है। प्रार्थीगण के पास आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता विधमान नहीं है। अंत में निवेदन किया कि तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के अनुसार रास्ता स्वीकृत किया जाता है,तो प्रार्थीगण को आपत्ति नहीं है। प्रार्थीगण प्रस्तावित रास्ता की स्वीकृति के बदले क्षतिपूर्ति राशि जमा करवानें के लिए सहमत हैं।
4. इसके विपरीत विप्रार्थी अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थीगण की ओर से मनगढन्त तथ्यों के आधार पर आवेदन–पत्र पेश किया है,जो निरस्त योग्य है,क्योंकि प्रार्थीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) * बालोतरा *

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.26 20:29:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

की ओर से विप्रार्थी की खातेदारी खसरा संख्या 4044/3944 व 2919/404 मे से रास्ता की इस्तदुआ चाही गई है,जबकि खसरा संख्या 2919/404 वन विभाग उप वन संरक्षक बाड़मेर की भूमि होने के कारण रास्ता स्वीकृत नहीं किया जा सकता है,इस कारण प्रार्थीगण का आवेदन खारिज योग्य है। प्रार्थीगण की ओर से आवागमन के लिए विप्रार्थी की खातेदारी भूमि का कभी उपयोग नहीं किया है तथा न ही मौके पर रास्ता उपलब्ध है,जबकि प्रार्थीगण की ओर आवागमन के लिए खसरा संख्या 2970/570 मे से ही रास्ता उपयोग किया जा रहा है,जो तहसीलदार पचपदरा की रिपोर्ट में भी बताया है,लेकिन प्रार्थीगण ने उक्त खसरान के खातेदार को आवश्यक पक्षकार होने के उपरांत भी पक्षकार नहीं बनाया गया,इस कारण प्रार्थीगण का आवेदन चलने योग्य नहीं है। अंत में निवेदन किया कि प्रार्थीगण का आवेदन–पत्र सारहीन तथ्यों के आधार पर होने के कारण खारिज किया जावें।

5. हमनें उभय–पक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं मौका जांच रिपोर्ट का गहनतापूर्वक अवलोकन कियाा तथा सुसंगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया। जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि तक पहुंचने हेतु खसरा संख्या 4044/3944 में से 15 फीट चौड़ाई का रास्ता प्रदान करने का निवेदन किया है। विप्रार्थी संख्या 01 की ओर से आपति करते हुए निवेदन किया कि मौका रिपोर्ट में विकल्प बी अनुसार प्रार्थीगण द्वारा खसरा संख्या 2970/570 के खातेदार को पक्षकार नहीं बनाया गया तथा खसरा संख्या 2919/404 उप वन संरक्षक बाड़मेर के नाम होने के कारण रास्ता मिल नहीं सकता है,इस कारण प्रार्थीगण का आवेदन खारिज किया जावें। विप्रार्थी संख्या 02 तहसीलदार पचपदरा ने मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत कर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि तक पहुंच हेतु दो विकल्प सहित रिपोर्ट उपलब्ध करवाए गए,जिसके अनुसार :–

6. <u>विकल्प A अनुसारः</u>–ग्राम आसोतरा तहसील पचपदरा की प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 409 मे सबसे नजदीक कटाण मार्ग खसरा संख्या 2919/404 किस्म गै. मु.सड़क है,सड़क व खातेदार खसरा संख्या 409 के बीच खसरा संख्या 4044/3944 की खातेदारी भूमि आती है।

<u>विकल्प B अनुसार</u> खसरा संख्या 4044/3944 व खसरा संख्या 2970/570 की सीमा पर आधा–आधा हिस्सा मुताबिक रास्ता प्रस्तावित किया गया। साथ ही अंकन किया गया कि खसरा संख्या 2970/570 के खाते[illegible]त प्रकरण में पक्षकार नहीं है।

7. हस्तगत प्रकरण के विचारण एवं निर्णयन हेतु हम धा[illegible]–क,राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में संक्षिप्त जांच के संबध में वर्णि[illegible] प्रावधान का उल्लेख करना आवश्यक समझतें है,जिसके अनुसारः–

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.26 20:29:22 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

i. यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है; और

ii. अन्य खातेदार की जोत में से होकर,विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में,पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है–

तो आदेश द्वारा,आवेदक को,अभिधारी,जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाईन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रेक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है,दर्शाया जाये,भूमि में से होकर,और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए,उस अभिधारी को,जो उस भूमि को धारित करता है,जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विधमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजुर किया जाये,ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये,अनुज्ञात कर सकेगा।

उक्त वर्णित प्रावधान से स्पष्ट है,कि प्रार्थीगण द्वारा आवेदित रास्ते की आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता हो तथा वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध होने पर नया रास्ता बनाने हेतु अनुज्ञात किया जा सकेगा। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण के खातेदारी खेत खसरा संख्या 409 में आवागमन हेंतु राजस्व रेकर्ड एवं मौके पर कोई रास्ता उपलब्ध नहीं हैं,अतः उक्त वर्णित धारा 251–क प्रावधानानुसार प्रार्थीगण की आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता प्रमाणित होती है तथा आवागमन हेतु वैकल्पिक साधन के अभाव भी प्रार्थीगण द्वारा सिद्ध किया गया हैं। विप्रार्थी अधिवक्ता की ओर से आपति की गई कि खसरा संख्या 2919/404 उप वन संरक्षक बाड़मेर के नाम खाता होने से रास्ता कटान नहीं किया जा सकता है तथा खसरा संख्या 2970/570 के खातेदार को पक्षकार नहीं बनाए जाने के कारण प्रार्थीगण का आवेदन खारिज योग्य है,उक्त तर्क स्वीकार योग्य नहीं है,क्योंकि खसरा संख्या 2919/404 में से रास्ता प्रस्तावित नही किया है तथा खसरा संख्या 2970/570 को पक्षकार बनाने की आवश्यकता नहीं है,क्योंकि तहसीलदार द्वारा विकल्प के तौर पर अवगत करवाया है न कि अनिवार्य बताया गया है। इस प्रकार मौका रिपोर्ट में विकल्प ए मुताबिक रास्ता स्वीकृत किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है तथा नजदीक दूरी का रास्ता है। उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है कि प्रार्थीगण का आवेदन–पत्र स्वीकार...

8. उक्त वर्णित प्रावधानों के अनुसरण में तहसीलदार ... द्वारा प्रस्तावित रास्ता विकल्प ए मुताबिक खसरा संख्या 4044/3944 में रकबा 0.0253 हैक्टयर की सार्वजनिक रास्ता हेतु डी.एल.सी.दर प्रति बीघा की ...गूनी प्रतिकर हेतु देय कुल राशि–16015/–रूपये बनती है,जिसको प्रार्थीगण राजकोष के निर्धारित शीर्ष में जमा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.26 20:29:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

करवाने हेतु सहमत है,अतः हम प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र वांछित अनुतोष अनुरूप स्वीकार करना उचित एवं न्यायसंगत समझते हैं।

आदेश :–

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 भली भांति साबित होने एवं सारवान होने के कारण स्वीकार किया जाता है,तथा प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि ग्राम आसोतरा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 409 में पहुंच हेतु विप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी खसरा संख्या 4044/3944 में से क्षेत्रफल 0.0253 हैक्टयर की सार्वजनिक रास्ता हेतु संलग्न नक्शानुसार विकल्प A भूमि सार्वजनिक रास्ते के रूप में उपयोग हेतु अनुज्ञात की जाती है। तहसीलदार पचपदरा को निर्देश प्रदान किये जाते है कि उक्त वर्णित भूमि का प्रतिकर 16015/–(अक्षरे सोलह हजार पन्द्रह) रूपयें की राशि विप्रार्थी संख्या 01 को भुगतान किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड में अंकन करे तथा मौके पर उक्त घोषित सार्वजनिक रास्ते का सीमाज्ञान किया जाकर प्रार्थीगण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें तथा पालना रिपोर्ट न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करें। अप्रार्थी प्रतिकर राशि नहीं लिए जाने की दशा में निर्धारित मयाद बाद राजकोष में नियमानुसार प्रतिकर राशि जमा करवाई जानी सुनिश्चित करावें। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर लेख्य भंडार हो।

(राजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) * बालोतरा *

आदेश आज दिनांक 20.9.2024 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.26 20:29:22 IST
Reason: SelfAttested